

6-1-20 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय
पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण
में न्यायालय समय में तीन बार
रुक रुक कर आज्ञा लगावाई
गई किन्तु बादी अथवा उनके
अभिवासा अनुपस्थित रहे।
जिलते जाहील होता है कि बादी
अपने वाद के पती गम्भीर नहीं
हैं कथना यह मुकदमा आज नहीं
चलाना चाहते हैं।

अतः बादी का वाद आज्ञा हाजिर
व आज्ञा फेरवी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फौजल मुमाद है।

(Manglu)
अखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

